संख्या-949/2017/2273/22-2-2017-17(133)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी-जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कारागार के पत्र संख्या-32346/प्रो0-5-दयायाचिका/351 दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी ग्राम सराय करौरा कस्बा, थाना-गोसाईगंज, जिला-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत में पानी लगाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 28.04.1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व देशी पिस्टल से गोली मारकर 03 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2016 तक 13 वर्ष 04 माह 26 दिन की अपरिहार एवं 16 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सतीश चन्द्र (बन्दी संख्या-43138) पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव,

संख्या-949/2017/2273/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in